सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 466 राँची, शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2025

संख्या-2/रा0, स्था0-36/14-2749/रा.,--उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-408, दिनांक-02.09.2025 के आलोक में श्री गौरांग महतो, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हुसैनाबाद, पलामू को उनके कार्यों के अतिरिक्त विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू/पुनर्वास पदाधिकारी, उत्तरी कोयल परियोजना, मेदिनीनगर, पलामू के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency in Law Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act.-2013), की धारा 11, 13, 16, 17, 19(2), 26, 40 तथा 81 को छोड़कर भू-अर्जन कार्यों के निष्पादन हेतु समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है। पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के संपादन हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5ए, 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्त्ता की शक्ति प्रदान की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार-ग्रहण तक (जो भी पहले हो) के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलाकान्त गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 466 - 50